

॥ कार्यालय जनपद न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल ॥

निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी/खराब कम्प्यूटर उपकरण नीलामी सूचना

विषय— जनपद न्यायालय, पौड़ी के न्यायालयों एवं कार्यालयों में निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी/खराब कम्प्यूटर उपकरण एवं सहवर्ती उपकरणों की नीलामी के सम्बन्ध में।

नीलामी की तिथि— 09.10.2025 (बृहस्पतिवार)।

समय— दोपहर 04.00 बजे से प्रारम्भ की जाएगी।

स्थान— जनपद न्यायालय, पौड़ी।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, पौड़ी के न्यायालयों एवं कार्यालयों में निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी/खराब कम्प्यूटर उपकरण एवं सहवर्ती उपकरणों की नीलामी जनपद न्यायालय परिसर पौड़ी में दिनांक 27.09.2025 को आयोजित की जानी थी, किन्तु उक्त तिथि में बोलीदाताओं के उपस्थित न होने के कारण नीलामी **09.10.2025 (बृहस्पतिवार) को दोपहर 04.00 बजे से** नीलामी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण की उपस्थिति में खुली बोली प्रक्रिया से की जानी है। नीलामी की शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

बोलीदाताओं केन्द्र/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा अनुमोदित ई-कचरा पुनर्चक्रणकर्ता/संग्राहक/विघटनकर्ता या संबंधित क्षेत्र के निर्माता/उत्पादक होने चाहिए और नीलामी में भाग लेने से पहले प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

जो व्यक्ति उक्त नीलामी में भाग लेना चाहते हैं, वे निर्धारित शर्तों की जानकारी हेतु उक्त दिनांक से पूर्व नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय पौड़ी की आधिकारिक वेबसाइट <https://paurigarhwal.dcourts.gov.in> या नोटिस बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में कोई भी जानकारी न्यायालय के टेलीफोन नंबर 01368-222596/ई-मेल आईडी0- dj-pau-ua@nic.in के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है।

Sd/-

अध्यक्ष/

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

नीलामी समिति,

जनपद न्यायालय पौड़ी गढ़वाल

।। कार्यालय जनपद न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल ।।

विषय—जनपद न्यायालय, पौड़ी के न्यायालयों एवं कार्यालयों में निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी/खराब कम्प्यूटर उपकरण एवं सहवर्ती उपकरणों की नीलामी के सम्बन्ध में।

नीलामी की तिथि— 09.10.2025 (बृहस्पतिवार)।

समय— दोपहर 04.00 बजे से प्रारम्भ की जाएगी।

स्थान— जनपद मुख्यालय, पौड़ी।

सार्वजनिक नीलामी के लिए नियम एवं शर्तें—

1. नीलामी समिति को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली/नीलामी प्रक्रिया को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। समिति बिना कोई कारण बताए नीलामी के लिए प्रस्तावित किसी भी वस्तु को नीलामी से वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
2. बोलीदाताओं को केन्द्र/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण समिति से अनुमोदित ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ता/संग्राहक/विघटनकर्ता के रूप में पंजीकृत या संबंधित वस्तु के उत्पादक होने चाहिए। बोलीदाताओं को नीलामी में भाग लेने से पहले उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाता को भारत सरकार के किसी भी विभाग या किसी राज्य/सरकार के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन द्वारा वर्ज्य सूची (Black List) में नहीं डाला गया हो।
3. नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को सार्वजनिक नीलामी की शर्तों को पढ़ना चाहिए और यदि वे इन शर्तों से सहमत हों, तो ही बोली लगानी चाहिए। जमानत धनराशि के रूप में 5,000/- रुपये (मात्र पांच हजार रुपये) नकद दिनांक 09.10.2025 को दोपहर 01:00 बजे तक जमा करने होंगे, जो नीलामी प्रक्रिया समाप्त पूरी होने के उपरान्त असफल बोलीदाताओं को नियमानुसार वापस कर दी जाएगी।
4. जमानत धनराशि को जमा करने हेतु प्रपत्र कार्यालय जनपद न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल के नजारत अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रपत्र कार्यालय जनपद न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
5. नीलामी के लिए प्रस्तावित स्क्रेप वस्तुओं का निरीक्षण प्रस्तावित बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 06.10.2025 से 08.10.2025 तक, प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे के बीच, जनपद न्यायालय, पौड़ी के परिसर में, केन्द्रीय साध्यपाल को सूचित करने और नजारत, अनुभाग से पास प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है।
6. नीलामी में बोली लगाने की अनुमति देने से पहले, सभी बोलीदाताओं से लिखित रूप में नियम व शर्तों की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। बोलीदाताओं को विधिवत रूप से भरा हुआ अनुलग्नक— I और पैन्, जीएसटी और सी0पी0सी0बी0/एस0पी0सी0बी0 द्वारा जारी किए गए

विघटनकर्ता/पुनर्संसाधनकर्ता/ पुनर्चक्रणकर्ता के पंजीकरण की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ प्रस्तुत करना होगा।

7. बोलीदाताओं को चेतावनी दी जाती है कि वे वस्तुओं के उचित मूल्य की प्राप्ति में बाधा डालने के लिए कोई सांठ-गांठ न बनाएँ और यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने कोई सांठ-गांठ बना लिया है, तो उन्हें नीलामी में भाग लेने से रोका जा सकता है और समिति को नीलामी रोकने का अधिकार होगा।

8. नीलामी प्रक्रिया में अधिकतम बोली बोलने वाले को उक्त उपकरण विक्रय किये जायेंगे। जिस बोलीदाता की अंतिम बोली स्वीकार की जाएगी, उस बोलीदाता को नीलामी की स्वीकृत संपूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी। कोई चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट आदि स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसकी बोली रद्द मान ली जाएगी और उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

9. उच्चतम बोलीदाता द्वारा राशि का भुगतान न करने पर उसकी बोली तुरन्त रद्द कर दी जाएगी और नीलाम की गई वस्तुएँ अगले उच्चतम बोलीदाता को दे दी जाएँगी, बशर्ते उसकी बोली और उच्चतम बोलीदाता से बयाना राशि के रूप में प्राप्त राशि, उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली से कम न हो। यदि यह शर्त पूरी नहीं होती है, तो नीलामी समिति द्वारा उचित समझे जाने पर बोलीदाता को कोई सूचना दिए बिना वस्तुओं की पुनः नीलामी की जाएगी।

10. नीलाम की गई वस्तुओं की किसी भी बोली की स्वीकृति नीलाती समिति द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।

11. रद्दी वस्तुओं की नीलामी 'जहाँ और जैसी स्थिति में' (As is where is basis) की जाएगी।

12. नीलाम की गई वस्तुएँ उच्चतम बोली लगाने वाले को तभी सौंपी जाएँगी जब उसके द्वारा पूर्ण और अंतिम भुगतान कर दिया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा हटाने की अनुमति दी जाएगी। वह न्यायालय के केन्द्रीय साध्यपाल या समिति द्वारा अधिकृत अधिकारी, जनपद न्यायालय, पौड़ी की उपस्थिति में सामग्री हटाएगा।

13. जिस बोलीदाता की अंतिम बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार और अनुमोदित की जाएगी, वह 02 दिनों के भीतर न्यायालय परिसर से सामग्री को अपने खर्चे पर हटाने के लिए जिम्मेदार होगा। जिसके पश्चात सामग्री, अगले उच्चतम बोलीदाता को दे दी जाएँगी।

14. साइट से सामग्री हटाते समय इस कार्यालय की मौजूदा संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। सफल बोलीदाता की लापरवाही या कार्यवाही के कारण इस कार्यालय की संपत्ति को होने वाली किसी भी हानि/क्षति या चोट का वहन सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा।

15. नीलामी की शर्तों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

16. नीलामी के संबंध में किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र जिला पौड़ी गढ़वाल में होगा।
17. नीलाम की गई वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य नीलामी के समय सूचित किया जाएगा।
18. सफल बोलीदाता को अनुबंध में एक वचनबद्धता (Annexure- I) प्रस्तुत करनी होगी कि पुराने/अप्रचलित/अनुपयोगी कंप्यूटर हार्डवेयर आदि से बने ई-कचरा आइटमों को ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के अनुसार संग्रहीत/प्रसंस्कृत/निपटान किया जाएगा।
19. सभी लागू कर, यदि कोई हों, स्वीकार्य दरों पर, सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किए जाने होंगे।

Sd/-
अध्यक्ष /
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक :- 252/2025/पौड़ी

दिनांकित अक्टूबर 03, 2025.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय पौड़ी गढ़वाल को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।
2. जनपद न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल तथा बाह्य न्यायालय, कोटद्वार/श्रीनगर/लैंसडाउन/धुमाकोट/सतपुली के नोटिस बोर्ड पर चर्षा किये जाने हेतु।
3. वेब इन्फोरमेशन मैनेजर जनपद न्यायालय पौड़ी गढ़वाल, उक्त सूचना को जनपद न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. केन्द्रीय साध्यपाल जनपद न्यायालय पौड़ी गढ़वाल उक्त सूचना का वृहत प्रचार-प्रसार एवं सुलभ सर्वाजनिक स्थानों पर चर्षा किया जाना सुनिश्चित करें।
5. कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल के नोटिस बोर्ड पर चर्षा किये जाने हेतु।
6. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल नोटिस बोर्ड पर चर्षा किये जाने हेतु।
7. कार्यालय जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल नोटिस बोर्ड पर चर्षा किये जाने हेतु।
8. कार्यालय नगर पालिका, पौड़ी गढ़वाल के नोटिस बोर्ड पर चर्षा किये जाने हेतु।
9. जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल नीलामी सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
10. गार्ड— फाईल।

Sd/-
अध्यक्ष /
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय पौड़ी गढ़वाल।

Annexure-I

जनपद न्यायालय, पौड़ी के न्यायालयों एवं कार्यालयों में निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी/खराब कम्प्यूटर उपकरण एवं सहवर्ती उपकरणों की नीलामी हेतु पात्रता मापदंड ।

वचनबद्धता

क्रमांक	विवरण	जानकारी	
1	आवेदक/फर्म का नाम		
2	पता		
3	संपर्क विवरण	टेलीफोन मोबाइल नंबर	
		फैक्स नंबर	
		ई-मेल आईडी	
4	फर्म/एजेंसी के मालिक/ भागीदारों/ निदेशकों का नाम		
5	अन्य विवरण (संलग्न प्रति)	पैन नंबर	
		जीएसटी पंजीकरण संख्या	
		केंद्र/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या	

मैं/हम एतद्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी/हमारी फर्म/कंपनी/व्यावसायिक संस्था किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त संगठन आदि द्वारा वर्ज्य सूची (**Black List**) नहीं की गई है या किसी भी न्यायालय द्वारा अभियोजित नहीं है तथा उक्त नीलामी से प्राप्त, जनपद न्यायालय, पौड़ी के न्यायालयों एवं कार्यालयों में अप्रचलित/निष्प्रयोज्य, अनुपयोगी/खराब कम्प्यूटर उपकरण एवं सहवर्ती उपकरणों का भंडारण/प्रसंस्करण/निपटान, ई- अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

दिनांक—

(व्यक्ति का नाम) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर, मुहर सहित